मूल वादी ...
व जनवानी संतोष बनाम रामसिंह वगैरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज0)

समक्ष पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

रण नियमित वाद संख्या 76 / 2009 प्रस्तुति दिनांक 19.05.2009

शीर्षक

संतोष कंवर पत्नी महेन्द्रसिंह पुत्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी अणमीर तहसील सुमेरपुर जिला पाली

---वादिनी

बनाम

रामसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

शिम्भूसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

नरेश कंवर | पुत्रियां शिम्भूसिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता
चेतन कंवर | नन्दूकंवर पत्नी शिम्भूसिंह जाति राजपूत
शिव कंवर | समस्त निवासी ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

मिट्ठू कंवर पत्नी मुकेशसिंह जाति राजपूत निवासी गुहाना तहसील नांवा जिला नागौर

तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

---प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 06.03.2021

हस्तगत वाद पत्र ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 319, 319/404, 320, 322, 323, 333, 334, 365, 366, 367 कुल किता 10 कुल रकबा 12.39 है0 से संबंधित है। वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

वादिनी के दादा देवीसिंह की मृत्यु सन 1992 में हो जाने पर उपरोक्त कृषि भूमि विरासत से उनके पुत्रों श्री किशोरसिंह, मोतीसिंह, रामसिंह एवं वादिनी की दादी मगन कंवर का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया तथा वादिनी की दादी मगनकंवर का स्वर्गवास सन 1996 में हो जाने से उक्त कृषि भूमि उनके पुत्रों श्री किशोरसिंह, मोतीसिंह, रामसिंह प्रत्येक के 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी। हाल खसरा नंबर 319 रकबा 1.20 है0, 319/404 रकबा ... 320 रकबा 2.86 है0, 322 रकबा 3.14 है0, 323 रकबा 0.... 333 रकबा ...02 है0, 334 रकबा 0.23 है0, 365 रकबा 0.12 है0, 366 रकबा 0.01 है0, 367 रकबा 1.... है0 कुल किता 10 कुल रकबा 12.39 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा ... शेष 2/3 हिस्सा उनके हकीकी भाई किशोरसिंह एवं मोतीसिंह का राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। वादिनी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में 1/3 हिस्से के अनुसार 4.13 है0 कृषि भूमि प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

श्री, उक्त कृषि भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि मे से करीब 5 है0 कृषि भूमि का बेचान दिनांक 05.03.2008 तक कर दिया, तथा शेष कृषि भूमि आपसी सहमति से बंटवारा करवाकर अपनी खातेदारी में खसरा नंबर 320/1 रकबा 0.55 है0, 322 रकबा 2.04 है0, 544/319 रकबा 0.39 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.98 है0 प्रतिवादी सं0 1 ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाली। वादिनी । उसके दादा देवीसिंहजी से उसके पिता श्री रामसिंह को प्राप्त 1/3 हिस्से मे /12 हिस्सा विधि अनुसार होता है। प्रतिवादी सं. 1 को पुश्तैनी कृषि भूमि में से जब क उनके हिस्सेदारान का हिस्सा विधि अनुसार पृथक करने के पश्चात मात्र अपने स्से को बेचान करने एव उपहार देने का विधिक अधिकार था, प्रतिवादी द्वारा पूर्व मे अपने हिस्से से अधिक कृषि भूमि का बेचान अपने भाईयों को कर दिया गया था था बाद तकासमा जो कृषि भूमि 2.98 है0 प्राप्त हुई उसमें मात्र वादिनी एवं प्रतिवादी 0 1 द्वारा विधि विरूद्ध जाकर उपहार पत्र एवं इकरारनामा दिनांक 23.03.2009 तहरीर कमील करवाये हैं जो अपने आपमें प्रभावशून्य है। अतः वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा बर 320/1, 322, 544/319 में वादिनी का हिस्सा 1/3 घोषित किया जावे तथा जस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाया जावे, वादिनी का 1/3 हिस्से का विधि अनुसार वभाजन कर पृथक से खाता खोला जाकर लगान निर्धारित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

पत्रावली पेश होने पर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया, प्रतिवादी संख्या 1 ने मूलतः अपने जवाब में अंकित किया कि वाद कारण के अभाव में वादीनी का वाद खारिज योग्य है वहीं प्रतिवादी संख्या 2 व 6 ने वादीनी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वहीं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने जवाब दावे में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिए त्याग पत्र हिस्सा 19/60 भूमि मोतीसिंह पुत्र देवीसिंह को दी एवं खसरा नंबर 333, 334 रकबा 0.25 है0 में से हिस्सा 1/3 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भीमसिंह पुत्र किशोरसिंह बेचान की एवं खसरा नंबर 365, 366, 367 रकबा 1.95 है0 में से हिस्सा 1/3 भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भीमसिंह पुत्र किशोरसिंह को किया। गिन प्रतिवादीगण के हक में पंजीबद्ध उपहार पत्र एवं इकरारनामा रजिस्टर्ड वैध दस्तावेज है जिनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है एवं गिन प्रतिवादीगण नाबालिग है जिनको उनके वैध हक व अधि[illegible] करने के लिए वादिया ने झूठे तथ्यों के आधार पर [illegible] उपहार पत्र एवं इकरारनामा के विरुद्ध सुनवाई का [illegible] नहीं होने से भी वादपत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज योग्य है। कानूनन [illegible] के जीवित रहते हुए पुत्री को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। वादिनी ने उक्त मद में समस्त भूमियों का उल्लेख नहीं किया है एवं न ही रामसिंह द्वारा बेचान की गई भूमियों का उल्लेख किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

है न ही रामसिंह द्वारा जिन व्यक्तियो को भूमियों का बेचान किया गया है उन्हें पक्षकार बनाया गया है इसलिए वाद चलने योग्य नही है। वादिया ने वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व विधि के प्रावधानानुसार धारा 80 सीपीसी का कोई नोटिस नही दिया इसलिए वादिया का वाद विधि मे वर्णित प्रावधानो के विरुद्ध होने से आदेश 7 नियम 11 घ के तहत खारिज फरमाने योग्य है। अतः जवाब पेश कर वादपत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

न्यायालय द्वारा निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः-

1. आया भूमि खसरा नंबर 320/1, 322, 544/319 वाके ग्राम चांदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर मे वादीनी का हिस्सा 1/3 घोषित किया जावे तथा 1/3 हिस्से में उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

--वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार विभाजन कर पृथक से खाता कायम कर लगान निर्धारित किया जावे।

--वादी

3. आया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी का बेचान रहन आदि ना करें।

--वादी

4. आया वाद बिना वाद कारण उत्पन्न हुए ही पेश किया गया है अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

--प्रतिवादी सं0 1

5. आया सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री फरमाये जाने योग्य है।

--प्रतिवादी सं0 2 व 6

6. आया वादिनी के भूमि वादग्रस्त मे कोई हक व अधिकार निहित नहीं है एवं कानूनन पिता के जीवित रहते पुत्री को पिता की संपत्ति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।

--प्रतिवादी सं0 3 ता 5

7. आया मिन प्रतिवादीगण के हक में पंजीबद्ध उपहार पत्र एवं इकरारनामा रजिस्टर्ड वैध दस्तावेज है एवं मिन प्रतिवदीगण नाबालिग है जिनको उनके वैध हक व अधिकारों से महरुम नहीं किया [illegible]।

--प्रतिवादी सं0 3 ता 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:22 IST
Reason: SelfAttested

8. आया रजिस्टर्ड उपहार पत्र एवं इकरारनामा के विरुद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से वादपत्र खारिज योग्य है।

--प्रतिवादी सं0 3 ता 5

9. दादरसी

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार पारित किया जाता है

1. आया भूमि खसरा नंबर 320/1, 322, 544/319 वाके ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर मे वादीनी का हिस्सा 1/3 घोषित किया जावे तथा 1/3 हिस्से मे उसका नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे।

—वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार विभाजन कर पृथक से खाता कायम कर लगान निर्धारित किया जावे।

—वादी

3. आया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी का बेचान रहन आदि ना करें।

—वादी

उक्त तीनों विवाद्यकों को न्यायालय हाजा के समक्ष स्थापित किये जाने का भार वादी पक्ष पर है। उक्त तीनों विवाद्यकों में अंतर्वलित विवाद बिन्दु एक समान होने के कारण सुविधा की दृष्टि से तीनों विवाद्यको का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

प्रकरण के तथ्यों के अनुसार वादिनी को विवादित आराजीयात में स्वयं का हिस्सा 1/3 होना न्यायालय के समक्ष मुख्यतः स्थापित किया जाना है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के तथ्यों को प्रतिवादी संख्या 1,2,6 द्वारा स्वीकार किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 द्वारा जवाब दावे के माध्यम से वादपत्र के तथ्यों को आक्षेपित किया गया है। यहां यह वर्णित किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पिता द्वारा वादी के वादपत्र के अभिवचनों को स्वीकार किया गया है एवं वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया है। प्रकरण की पत्रावली व उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पूर्व में स्व0 देवीसिंह की आराजीयात रही है, जिनकी मृत्यु के उपरांत विवादित आराजीयात स्व0 देवीसिंह के पुत्रों को प्राप्त हुई थी जिनमें से एक पुत्र रामसिंह वादी का पिता था। स्व0 देवीसिह की संपत्तियां रामसिंह को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। उत्तराधिकार में प्राप्त होने के कारण देवीसिंह की खातेदारी भूमियां पैतृक संपत्ति थी। विधि अनुसार [illegible] वादिनी का हिस्सा 1/3 का 1/4 अर्थात 1/12 [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रकाश में स्व0 रामसिंह [illegible] का हिस्सा 1/4 अर्थात देवीसिंह की संपत्तियों में से 1/12 विधि अनुसार है। वादिनी उक्त हिस्से की उद्घोषणा करवाये जाने की अधिकारी है। रामसिह को पैतृक संपत्तियों के हस्तांतरण का कोई विधिक अधिकार नहीं था। रामसिंह द्वारा दिनांक 23.03.2009 को किए गए

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

समस्त हस्तांतरण रामसिंह के हिस्से से अधिक होने के कारण इस न्यायालय के मत में आधिक्य होने से वादिनी के विधिक अधिकारों के स्तर तक प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात में वादिनी का विधि अनुसार हिस्सा 1/4 होना पत्रावली पर प्रमाणित है तथा वादिनी स्वयं के हिस्से 1/3 को नियमानुसार विभाजित करवाकर खातेदारियों के अंकन करवाये जाने की अधिकारी है तथा उक्तानुसार वादिनी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाये जाने की अधिकारी है उक्तानुसार विवाद्यक संख्या 1 ता 3 वादी के पक्ष में निर्णित किये जाते है।

4. आया वाद बिना वाद कारण उत्पन्न हुए ही पेश किया गया है अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है।

—प्रतिवादी सं० 1

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। जैसाकि तनकी नंबर 1 ता 3 में निर्णित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का हक व अधिकार निहित है। अतः अपने हक व हिस्से की भूमि के खातेदारी हकों की घोषणा करा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की वादिनी अधिकारी है। अतः तनकी नंबर 4 प्रतिवादी सं० 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

5. आया सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री फरमाये जाने योग्य है।

——प्रतिवादी सं० 2 व 6

उक्त विवाद्यक को न्यायालय हाजा के समक्ष सत्यापित किये जाने का भार मिन प्रतिवादीगण पर है। इस हेतु संबंधित प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में तनकी नंबर 5 प्रतिवादी संख्या 2 व 6 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

6. आया वादिनी के भूमि वादग्रस्त मे कोई हक व अधिकार निहित नहीं है एवं कानूनन पिता के जीवित रहते पुत्री को पिता की संपत्ति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।

——प्रतिवादी सं० 3 ता 5

उक्त विवाद्यक को न्यायालय हाजा के समक्ष सत्यापित किये जाने का भार मिन प्रतिवादीगण पर है। हिन्दू उत्तराधिकार नियमों [illegible] पुश्तैनी कृषि भूमि पर वादीनी के हित व अधिकार निहित हैं [illegible] पिता के जीवित रहते भी पुत्री के हक व अधिकार पुश्तैनी [illegible] सुरक्षित रहते हैं। अतः उक्त तनकी मिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

7 आया मिन प्रतिवादीगण के हक मे पंजीबद्ध उपहार पत्र एवं इकरारनामा रजिस्टर्ड वैध दस्तावेज है एवं मिन प्रतिवदीगण नाबालिग है जिनको उनके वैध हक व अधिकारो से महरुम नही किया जा सकता है।

—प्रतिवादी सं0 3 ता 5

उक्त विवाद्यक को न्यायालय हाजा के समक्ष सत्यापित किये जाने का भार मिन प्रतिवादीगण पर है। हिन्दू उत्तराधिकार नियमो के अंतर्गत पुश्तैनी कृषि भूमि पर वादीनी के हित व अधिकार निहित है। वादग्रस्त आराजी स्वअर्जित न होने से पिता के जीवित रहते भी पुत्री के हक व अधिकार पुश्तैनी भूमि मे सुरक्षित रहते है। मिन प्रतिवादीगण जो कि नाबालिग है केवल अपने हक हिस्से की भूमि पर ही दावा कर सकते है वादिनी के हक व हिस्से की भूमि पर उनके कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते। अतः उक्त तनकी मिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

8. आया रजिस्टर्ड उपहार पत्र एवं इकरारनामा के विरुद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से वादपत्र खारिज योग्य है।

——प्रतिवादी सं0 3 ता 5

उक्त विवाद्यक को न्यायालय हाजा के समक्ष सत्यापित किये जाने का भार मिन प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी संख्या 1 को पुश्तैनी भूमि में उपहार पत्र तस्दीक कराने का अधिकार नहीं था न ही वादिनी के हिस्से की भूमि पृथक किए बिना उसके किसी हिस्से का बेचान का अधिकार था। अतः उपहार पत्र एवं इकरारनामा दिनांक 23.03.2009 प्रभाव शून्य है। अतः उक्त तनकी मिन प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर तनकी नंबर 1 ता 3 वादी के पक्ष में तथा 4 ता ता 8 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित होने से वादिनी का वाद बाबत तकासमा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाता है तदनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादिनी के हिस्सेनुसार खातेदारी दर्ज की जावे तदनुसार पृथक खाता व लगान कायम किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Scanned with CamScanner

मूल दावा संख्या 76/2009
व उनवानी संतोष बनाम रामसिंह वगै0

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती अपर्णा शर्मा (आर ए एस)
राजस्व वाद संख्या 76/2009/ दावा

1. संतोष कंवर पत्नी महेन्द्रसिंह पुत्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी अणगौर तहसील सुमेरपुर जिला पाली

——वादिनी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

शिम्भूसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

नरेश कंवर | पुत्रियां शिम्भूसिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता
चेतन कंवर | नन्दूकंवर पत्नी शिम्भूसिंह जाति राजपूत
शिव कंवर | समस्त निवासी ग्राम नारदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

मिट्ठू कंवर पत्नी मुकेशसिंह जाति राजपूत निवासी मुहाना तहसील नांवा जिला नागौर

तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

——प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत तकासमा एवं घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांक : 06.03.2021

तनकी नंबर 1 ता 3 वादी के पक्ष में तथा 4 ता ता 8 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित होने से वादिनी का वाद बाबत तकासमा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाता है तदनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादिनी के हिस्सेनुसार खातेदारी दर्ज की जावे तदनुसार पृथक खाता व लगान कायम किया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 06.03.2021 को जारी किया ।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वका	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मा		
गुतफरित	4 रूपये		गुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:05:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner